International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

समकालीन परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगता : समस्याएँ एवं समाधान

अंशिता यादव

शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश

किसी भी शारीरिक अथवा मानसिक विकार के कारण एक साधारण मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी होने को दिव्यांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिव्यांगता भारत जैसे विकासशील देश में एक गंभीर समस्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदि जैसे जीवन के हर पहलू में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों तथा उनके हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। भारत सरकार द्वारा अनेक कानूनों और योजनाओं के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसर और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक आर्थिक और धार्मिक अधिकारों और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करके गरिमा पूर्ण जीवन के अवसर प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 3 दिसंबर को विश्व विशिष्ट दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला वर्ष 1992 से विश्व अल्पमत दिवस या अल्पसंख्यक व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1983 से 1992 तक के दशक को कमजोर जनों के लिए संयुक्त राष्ट्र का दशक घोषित किया गया। वर्ष 2022 के लिए विकलांग व्यक्तियों का अंतरर्राष्ट्रीय दिवस की थीम समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान 116 और न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका रखी गई है। (Transformtive solutions for inclusive development : The role of innovation in fuelling and accessible and equitable world)

कीवर्डः विकलांगता, अधिनियम, अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, समावेशी विकास।

प्रस्तावना

मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है उसके पास सोचने विचारने और कार्य करने की क्षमता है। वह किसी अन्य प्राणी की योजना के कारण अद्भुत कार्य कर सकता है। वह अपनी सामर्थ्य और शक्ति के सदुपयोग से दूसरों के अभाव को दूर कर सकता है। अपने मानवीय गुणों और परोपकारी प्रवृत्ति के माध्यम से दूसरों में आत्मविश्वास जगा कर उनकी हीन भावना को दूर कर सकता है। दिव्यांगजन हमारे समाज का अभिन्न अंग है उनकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है।

विकलांग का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अंग के ना होने पर एक सामान्य व्यक्ति के समान काम नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति का कोई एक अंग कुरूप है या था नाक कान्हा काटे ना या चपटा होना आदि विकलांगता का सूचक नहीं है। यह कमियां उसके कार्य शक्ति में विशेष बाधक नहीं है इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति दोनों आंखों से वंचित है दोनों कानों से बहरा है उसका एक अथवा दोनों हाथ नहीं है या पैर नहीं है तो वह विकलांग कहा जाएगा क्योंकि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर सकता विकलांग के कई कारण हो सकते हैं।

दूसरे प्रकार की विकलांगता वह होती है जो किसी दैवी प्रकोप आदि के कारण उत्पन्न होती है, इनमें से कुछ विकलांग ऐसे होते हैं जिनका इलाज संभव होता है। लोगों में कुछ हद तक सभ्यता और शिष्टाचार का अभाव है विकलांगों के प्रति सहानुभूति दिखाना तथा मानवीय व्यवहार करने की वजह उन पर व्यंग के छींटे करते हैं उनकी हंसी उड़ाई जाती है उन्हें अपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है इससे उनमें निराशा की भावना फैल जाती है अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम विकलांगों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदले उनके प्रति मानवीय दृष्टि का परिचय दें उनके पुनर्वास के लिए प्रयत्नशील रहे उन्हें यह महसूस कराया जाए कि वह समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनकी सहायता हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है उस के तत्वावधान में 1981 के वर्ष को विकलांग कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा चुका है भारत सरकार भी उनकी दशा सुधारने में प्रयत्नशील है।

पी0डब्ल्यू0डी0 कानून 1995 के अनुसार चिकित्सकीय दृष्टि से यदि किसी व्यक्ति के शरीर का 40% से ज्यादा हिस्सा विकलांग हो जाता है वह व्यक्ति दिव्यांग माना जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांग देश की कुल आबादी का लगभग 2.01% है किंतु भारत में विकलांग के वास्तविक आंकड़े प्रदर्शित नहीं किए जाते है। विकलांगों की यह सबसे बड़ी समस्या है दिव्यांगों की समस्याएं विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सभी देशों में अलग–अलग होती है किंतु मूल समस्याएं सभी जगह एक समान होती हैं। विकलांग के परिणामस्वरुप निम्न शैक्षणिक उपलब्धियां, अर्थव्यवस्था में निम्न भागीदारी, गरीबों की उच्च दर

तथा खराब स्वास्थ्य निष्पादन आदि समस्याएं बनी रहती हैं और इसीलिए प्रत्येक देश की सरकार के सामने परिवहन या सार्वजनिक भवन, स्कूल, रोजगार तक विकलांगों की पहुंच सुनिश्चित कर पाना प्रमुख चुनौती है।

विकलांगता के कारण

1. **जन्मजात विकलांगता :–** गर्भ से ही कुछ अंगों का पूर्ण विकसित न होना अथवा अनुवांशिक कर्म से होने वाली विकलांगता जन्मजात विकलांगता कहलाती है ऐसी विकलांगता उचित चिकित्सा तथा भरण पोषण के बावजूद भी हो सकती है।
2. **विपरीत परिस्थितियों के कारण :–** जैसे नशे की लत, गर्भवती महिलाओं द्वारा प्रदूषित जल का सेवन, गर्भावस्था में उचित पोषण व दवाइयां का अभाव, असुरक्षित यौन संबंध के कारण होने वाली बीमारियों में गर्भ पर पड़ने वाले प्रभाव आदि से भी विकलांगता उत्पन्न हो जाती है किंतु इस प्रकार के विकलांगता को रोका जा सकता है।

समान रक्त ग्रुप नजदीकी रिश्तों में भी की गई शादी एवं एक ही गोत्र में शादी के उपरांत होने वाली संतानों में विकलांगता का प्रतिशत भी अधिक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में फ्लोरोसिस, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड आदि रासायनिक तत्वों के कारण विकलांगता की दर बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बच्चों में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है और इसी तरह से बिहार के भागलपुर कोलाखुर्द में अत्यधिक फ्लोराइड आर्सेनिक जैसे रासायनिक तत्वों की मात्रा पाई गई है जो विकलांगता को बढ़ा रही है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने पर भी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है नागरिकों को शुद्ध जल, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा और भोजन की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार का पहला दायित्व है किंतु भुखमरी, कुपोषण, गरीबी से बच्चे अभी भी पीड़ित है जो विकलांगता को बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में बढ़ती युद्ध हिंसा, प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद नक्सलवाद आदि समस्याएं भी विकलांगता का कारण बनती हैं किंतु इन सभी समस्याओं का आवश्यक प्रबंध किया जा सकता है।

दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016

भारत में 1995 के दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता लागू होने के साथ ही उनके अधिकार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला कदम बढ़ाया है। भारत का दूसरा कदम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता यूएनसीआरडीपी स्वीकार करना है। लोकसभा ने 16 दिसंबर 2016 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2011 को पारित किया। विधायक के निवर्तमान पी0डब्ल्यू0डी0 अधिनियम 1995 की जगह कई साल पहले किया गया था। राज्यसभा में यह विधेयक 14 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था इस विधेयक की निम्नलिखित विशेषताएं है –

1. **पहला :–** विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है ।
2. **दूसरा :–** विकलांगों के 7 प्रकार को 21 प्रकार तक बढ़ा दिया गया है साथ ही केंद्र सरकार को और अधिक प्रकार की विकलांगताओं को जोड़ने की शक्ति होगी।
3. **तीसरा :–** 21 विकलांगता निम्न प्रकार की है –

1	अंधापन	8	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर	15	थैलेसीमिया
2	कम दृष्टि	9	मस्तिष्क पक्षाघात	16	हीमोफीलिया
3	कुष्ठ रोगी व्यक्ति	10	मांसपेशीय विकार	17	सिकलसेल रोग
4	सुनवाई क्षति (बहरा और बहुत ऊंची आवाज में सुनना)	11	क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन	18	बहुल विकलांगता सहित बहुलता
5	लोकोमोटर विकलांगता	12	विशिष्ट सीखना	19	एसिड अटैक शिकार
6	बौनावाद	13	मल्टीपल स्क्लेरोसिस	20	पार्किसन रोग
7	बौद्धिक अक्षमता	14	भाषण व भाषा विकलांगता	21	विशिष्ट सीखना विकलांग

दिव्यांगजन के अधिकारों के लिए बने कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम/कानून

1. **मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 :–** इस अधिनियम के तहत मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्ति को किसी भी सरकारी अस्पताल में निः शुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार है। साथ ही सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी पेंशन, मुफ्त कानूनी सेवा तथा भत्तों का भी वह अधिकारी है।
2. **कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 :–** इस अधिनियम के तहत सभी की कानून तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है। विशेषकर आर्थिक रूप कमजोर वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए इसे निः शुल्क ही रखा गया है। इस एक्ट द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया निः शुल्क रखी गई है।

3. **भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992** :– यह एक्ट विकलांग व्यक्तियों को गुणवत्ता से परिपूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिबंध है। इस एक्ट के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं उनकी शिक्षा के मानकों का निर्धारण कर विकलांगों के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों का कानूनी रूप से पालन सुनिश्चित किया गया।
4. **विकलांग व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995)** :– यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके शोषण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन् 1995 में अस्तित्व में लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा चिकित्सीय देखभाल शिक्षा प्रशिक्षण रोजगार पुनर्वास और समानता का अधिकार देना राज्य का कर्तव्य है।
5. **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999** :– इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की गई। यह न्यास विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी गैर सरकारी संगठनों को विकलांगों की उन्नति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। न्यास द्वारा कई योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जिनका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है।
6. **विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2011** :– यह पूर्व में वर्णित विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम 1995 का विस्तृत रूप है। इस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी क्षमताओं को बढ़ाना उनको नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना एवं अवरोधों को हटाना है।
7. **विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016** :– विकलांग व्यक्ति अधिकार बिल 2014 को लोकसभा में 7 फरवरी 2014 को प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात 14 दिसंबर 2016 को यह बिल लोकसभा में पास हुआ, अंत में 28 दिसंबर 2016 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन गया अप्रैल 2017 से यह एक सक्रिय हुआ परंतु अपने पूर्ण रूप में यह 15 जून 2017 से भारत में लागू है। इस अधिनियम की विशेषता है कि इसमें विकलांगता की श्रेणियों का वृहद करण किया गया है।

विकलांगता रोकने के उपाय :–

1. सरकार सर्वेक्षण जांच और अनुसंधान करेगी ताकि विकलांगता के जन्म लेने के कारणों का पता चल सके।
2. सरकार विकलांगता को रोकने हेतु सभी उपाय करेगी।
3. सरकार सभी बच्चों की कम से कम साल में एक बार जांच कराएगी ताकि उन्हें विकलांगता के संभावित खतरों से बचाया जा सके।
4. सरकार इस कार्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु समस्त सुविधाएं जुटाएगी।
5. माता व बच्चों को जन्म से पूर्व जन्म के दौरान वह जन्म के पश्चात देखने की व्यवस्था करेगी।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के उपाय :–

1. भारत सरकार द्वारा 15 जून 2017 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम अधिसूचित किया गया इन नियमों में वर्णित निर्मित वातावरण यात्री बस परिवहन और वेबसाइटों के लिए पहुंच मानकों के अलावा आवेदन की प्रक्रिया विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करना राष्ट्रीय कोष के उपयोग और प्रबंधन के तरीके विनिर्दिष्ट किए गए।
2. भारत सरकार ने 4 जनवरी 2018 को किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट निशक्तता के आकलन हेतु दिशा निर्देश दिए यह दिशानिर्देश मूल्यांकन की एक बड़ी प्रक्रिया के साथ विभिन्न श्रेणियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी की संरचना प्रदत्त करते हैं।
3. दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग भारत सरकार ने 8 मार्च 2019 को दिव्यांग जनों के अधिकार संशोधन नियम अधिसूचित किए जिसमें एक मूल्यांकन बोर्ड उनकी संरचना उच्च समर्थन आवश्यकताओं की मांग करने वाले बेंच मार्क विकलांग व्यक्तियों के मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट किया गया था।
4. राज्यों को समय–समय पर अधिनियम की धारा 101 के अनुसार नियमों का निर्माण की सलाह दी गई 31 मार्च 2020 तक 31 राज्यों केंद्र शा विकलांग विमर्श दशा और दिशासित प्रदेशों ने उक्त अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित किया है।
5. दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग भारत सरकार ने 8 नवंबर 2017 की अधिसूचना के माध्यम से विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं।

निष्कर्ष

दिव्यांग' या 'डिफरेंटली एबल्ड' जैसे शब्दों के प्रयोग मात्र से ही दिव्यांग लोगों के प्रति बड़े पैमाने पर सामाजिक विचारधारा को नहीं बदला जा सकता। हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक चाहे वह विकलांग ही क्यों ना हो कि समानता स्वतंत्रता न्याय और उनके गरिमा की रक्षा का आश्वासन देता है दिव्यांग हमारे देश में के मूल्यवान मानवीय संसाधन संविधान में वर्णित प्रावधान और नियम दिव्यांग जनों के लिए समाज में एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो उनके लिए समान अवसर उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी पूर्ण सहभागिता को दिखाते हैं एक लोकतांत्रिक देश में यह जरूरी है कि सभी के लिए लोक कल्याण सुनिश्चित किया जाए साथ ही

विकलांगता के प्रति क्रियान्वित नीति नियमों का मौलिक प्रभाव विकलांगता के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। संवैधानिक प्रावधान भारतीय समाज में एक नई विचारधारा को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण रहे हैं और आगामी भविष्य में भी अपनी सार्थकता सिद्ध करते रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पाठक, डॉ० विनय कुमार, विकलांग विमर्श दशा और दिशा।
2. अहमद, डॉक्टर, रूमी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया।
3. इमर्जेंट डिसेबिलिटी एंड द लिमिट्स आफ इक्वलिटीः ए क्रिटिकल डिसेबिलिटी विद रिबेट 2004
4. पटेल डी. आर. और ब्राउन के. ए., 'एन ओवरव्यू ऑफ द कान्सेप्टुअल फ्रेमवर्क एंड डेफिनेशनस ऑफ डिसेबिलिटी', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, 2017, पृ. सं0 247–252
5. जैन. गरुए, 'द सोशल मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटीः ए रिफ्लेक्शन ऑन कैटेगेराइजेशन, स्टिगमा एंड आईडेंटिटी'।
6. सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस 2016.9.957–964
7. Annual Report by Department of Empowerment of Person with Disability- https://depwd.gov.in/
8. मैकब्रिनए जे0, रीफैशनिंग डिसेबिलिटीः द केस ऑफ पेटेंड फैब्रिक्स लिमिटेड, 1915 से 1959, इन द स्टलेज।
9. कम्पेनियन टू डिजाइन स्टडीज, 2016, पृ. 291–320
10. टॉबिन, सौएबेरस, डिसेबिलिटी थ्योरी, मिशिगनः द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, 2008, पृ. 8–12
11. Declaration on the Rights of Disabled Persons https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-disabled-persons